

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ
/ए.-एम/81

संख्या

कार्यालय आदेश

परिषद की 234वीं बैठक दिनांक 15.09.2015 में मद संख्या-234/50 में अनुमोदित प्रस्ताव के अन्तर्गत मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर-15, 16 व 17 में समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत स्टिल्ट+4 के 01 बी.एच.के. के 1216 नग तथा 02 बी.एच.के. के 2464 नग अर्थात् 3680 नग फ्लैट्स के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव मा0 निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसके अनुपालन में एतद्वारा निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार निर्गत की जाती है:-

क्र०सं०	परियोजना आई०डी०नं०	योजना/परियोजना का नाम/ कार्य का नाम	परियोजना की लागत (रु० लाख में)	लेखा भीषक एवं वित्त सं०
1-	143708	मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर-15, 16 व 17 में समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत स्टिल्ट+4 के 01 बी.एच.के. के 1216 नग तथा 02 बी.एच.के. के 2464 नग अर्थात् 3680 नग फ्लैट्स के निर्माण कार्य।	32954.09	631/72

- 1- आवास आयुक्त (म०) के निर्देशान्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जाती है कि निविदा आदि की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करने के उपरान्त वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार व्यय की अनुमति कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त करनी होगी।
- 2- परियोजना से सम्बन्धित अभिलेख/पत्राचार उक्त प्रोजेक्ट आई०डी० नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
- 3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर परिषद द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उनका व्यय प्रत्येक दश में उसी कार्य/मद में स्वीकृत बजट के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
- 4- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
- 5- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं किया जा रहा है।
- 6- खण्ड द्वारा लेबर सेस/सर्विस टैक्स की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।
- 7- परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 8- निर्माण लागत से अधिक कोई वृद्धि नहीं होगी तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।
- 9- उक्त कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त 18 माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाये।

(दिनेश कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

दिनांक: 6.10.2015

पृ०सं०:

4035 /ए.-एम/81

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आवास आयुक्त (म०) के निजी सचिव।
- 2- मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 3- मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अभिलेखों में तदनुसार अंकित किये जाने हेतु।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डोला वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, तक०/निर्माण खण्ड-10/36, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, मण्डोला विहार, लखनऊ/गाजियाबाद।
- 7- मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर